न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 135/2019 प्रार्थना पत्र
GCMS No- 2019/00426

1. श्रीमती धापु बाई पत्नी कानादास बैरागी, आयु 97 साल, वरिष्ठ नागरिक, निवासी प्रतापपुरा, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. माना बाई पुत्री कानादास बैरागी, आयु 60 साल, निवासी प्रतापपुरा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रार्थीगण

//बनाम//

1. जमनादास पिता कानादास बैरागी, आयु 75 साल, निवसी प्रतापपुरा, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 212 रा. का.अधि.
श्री अभिषेक वैष्णव, अधिवक्ता प्रार्थीगण, उपस्थित

निर्णय दिनांक 17.02.2021

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा प्रतापपुरा की साबिक आराजी नं. 37/8 रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड है जो प्रार्थीगण, विपक्षी संख्या 1 व उसके भाई सत्यनारायण दास की पैतृक कृषि भूमि होकर उन्हें श्री कानादास की विरासत से प्राप्त हुई। भू प्रबन्धन की कार्यवाही के दौरान साबिक आराजी नं. 37/8 के नवीन आराजी नं. 86 रकबा 0.0100 हैक्टेयर व आराजी नं. 87 रकबा 3.0500 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.0600 हैक्टेयर कायम हुए। विपक्षी संख्या 1 व सत्यनारायण दास द्वारा प्रार्थीगण के पिता व [illegible] की विरासत का नामान्तरकरण अपने अकेले के नाम दर्ज करवा लिया जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा सक्षम न्यायालय में खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रकरण संख्या 95/2012 प्रस्तुत किया जो दिनांक 02.09.2013 को डिक्री किया जिसका राजस्व रेकार्ड में जरिये नामान्तरकरण संख्या 18, दिनांक 25.09.2013 अमल दराम भी किया जाकर प्रार्थीगण उक्त आराजीयात में खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है। विपक्षी संख्या 1 के मन में बदयांति आ गई तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:36:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी संख्या 1 जो माता है और प्रार्थी संख्या 2 जो बहन है को बहला फुसला कर पंजीकृत हक त्याग पत्र के माध्यम से दिनांक 29.11.2013 को प्रार्थीगण का 2/5 हिस्सा हक त्याग करवा लिया जबकि मौके पर हम प्रार्थीगण ही काबिज हैं। प्रार्थीगण द्वारा किये गये हक त्याग विलेख से विपक्षी संख्या 1 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। विपक्षी अपना नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए विवादित भूमि को खुर्द बुर्द हस्तान्तरित करने पर आमदा हैं तथा प्रार्थीगण की कोई सेवा चाकरी नहीं करता है और जबरन बेदखल करना चाहता है। वाद का निर्णय होने से पूर्व यदि विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि को खुर्द बुर्द हस्तान्तरित करने में सफल हो जाता है तो प्रार्थीगण का दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जाएगा तथा अनावश्यक मुकदमेंबाजी बढ़ेगी। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण है, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होकर प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एकतरफा सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थीगण की ओर से पंजिकृत हकत्याग पत्र दिनांक 29.11.2013, नकल जमाबन्दी संवत2072-75 ग्राम प्रतापपुरा की खाता सख्ंया 26 की छायाप्रति व नामान्तरकरण संख्या 18 दिनांक 25.09.2013 की छायाप्रति प्रस्तुत की है। वर्तमान रेकार्ड में प्रश्नगत आराजीयात का 4/5 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 व 1/5 हिस्सा अन्य खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है। पंजीकृत हक त्याग पत्र के माध्यम से प्रार्थीगण व कंचन बाई ने अपना हक हिस्सा जमनादास के पक्ष में हक त्याग कर दिया है। प्रार्थीगण ने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्होनें स्वैच्छा से हक त्याग किया था परन्तु विपक्षी संख्या 1 द्वारा सार संभाल नहीं करने से वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विवादित भूमि पुश्तैनी होकर इसी न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रकरण संख्या 95/2012 में दिनांक 02.09.2013 को प्रार्थीगण को खातेदारी की घोषणा की सहायता प्रदान की जा चुकी है। उसके उपरान्त स्वैच्छा से किये गये हक त्याग को निरस्त कराने के लिए पुनः खातेदारी घोषणा का वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है। प्रार्थीगण का अपने पुत्र/भाई से हक त्याग के पश्चात कोई विवाद हुआ है तो वे सक्षम सिविल न्यायालय में उपस्थित होकर हक त्याग को निरस्त कराने के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही करें। वर्तमान प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:36:02 IST
Reason: SelfAttested

अभिवचनों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल वाद के साथ संलग्न हो।

आज दिनांक 17.02.2021 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:36:02 IST
Reason: SelfAttested